

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

खुली बोली के माध्यम से आम, चीकू, नाशपाती, कटहल एवं प्लम बागों की बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर 02 फलत वर्षों हेतु दिनांक 01.12.2025 से 31.08.2027 तक आम, चीकू, नाशपाती, कटहल एवं प्लम बागों की बिक्री हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों को खुली बोली/निगोशिएसन के माध्यम से दिनांक 10.11.2025 को अपराह्न 2:30 बजे नीलामी आयोजित की जानी है। खुली बोली में बोलीदाताओं को प्रतिभाग किये जाने हेतु लाट सं0-01 एवं लाट सं0 03 हेतु धरोहर धनराशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) तथा लाट सं0-07 एवं लाट सं0-08 हेतु धरोहर धनराशि रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा किये जाने होंगे, तदुपरान्त ही बोलीदाता खुली बोली में प्रतिभाग कर सकेंगे।

बागों का विवरण:-

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	लाट सं0- 01	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं0-03	आम व चीकू क्षेत्र सं0 - 5	12 एकड़
	लाट सं0-07	आम क्षेत्र सं0 12 बी एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं0-12ए	6.5 एकड़
	लाट सं0-08	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0- 6,7,15	12 एकड़

खुली बोली की शर्तें:

- बागों के ठेके की अवधि 31.08.2027 तक होगी।
- ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली-भांति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- दिनांक 10.11.2025 के प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक लाट सं0-01 एवं लाट सं0 03 हेतु धरोहर धनराशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) तथा लाट सं0-07 एवं लाट सं0-08 हेतु धरोहर धनराशि रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- उच्चतम बोलीदाता एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/नकद) को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा की गयी, धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/नकद) को बोली की समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा। साथ ही उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा कर दी जाती है तो द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/नकद) को वापस कर दिया जायेगा।
- गठित समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त बोली को अस्वीकृत कर दें।
- सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) का बैंक ड्राफ्ट बोली की समाप्ति के पश्चात् एक दिन बाद अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी यदि सफल बोलीदाता 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/नकद) को जब्त कर लिया जायेगा।
- सक्षम अधिकारी द्वारा बोली स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सअप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण की दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी।
- सफल बोलीदाता को विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- प्रथम वर्ष फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा धनराशि के रूप में केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
- उच्चतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (तृतीय किस्त) दिनांक 30.09.2026 तक जमा करनी होगी।
- शेष 25 प्रतिशत धनराशि (चतुर्थ/अंतिम किस्त) दिनांक 28.02.2027 तक जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में बोली में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल बोलीदाता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया धरोहर राशि एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (वापसी योग्य) के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।

12. उपरोक्त बिंदु संख्या 09, 10 एवं 11 में वर्णित किस्तों की धनराशि के पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) सफल बोलीदाता द्वारा बांग पर कब्जा लेने के समय जमा कराया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0डी0सी0 चैक में अंकित तिथि से 15 दिन के अन्दर बैंक में जमा कराया जायेगा। ऐसी स्थिति में यदि चैक की धनराशि बैंक द्वारा सफल बोलीदाता के हस्ताक्षर न मिलने एवं खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण चैक बाउन्स होता है तो खुली बोली की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा सफल बोलीदाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। ऐसी दशा में सफल बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. सफल बोलीदाता द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्ते निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 02 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किस्तों का देय विलम्ब शुल्क आगामी किस्त के धनराशि तक जमा करना आवश्यक होगा।
15. सफल बोलीदाता किसी अन्य को बाग नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, सफल बोलीदाता का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को प्रत्येक वर्ष देनी होगी। केन्द्र द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु फलों की निम्नलिखित मात्रा आवश्यकतानुसार ली जायेगी।

क्र० सं०	फल बाग का नाम	लाट संख्या	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की मात्रा (वर्ष 2026 एवं वर्ष 2027 में पृथक्-पृथक्)	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	01	सं० - 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1000 कि०ग्रा०	100 फल
2.	आम व चीकू	03	सं० - 5	आम 200 कि०ग्रा० चीकू 200 कि०ग्रा०	100 फल 50 फल
3.	आम एवं प्लम (अलूचा)	07	सं०- 12 बीएवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं०-12ए	आम 300 कि०ग्रा० प्लम 300 कि०ग्रा०	100 फल 200 फल
4.	नाशपाती कटहल व लीची	08	सं०- 6,7,15	नाशपाती 200 कि०ग्रा० लीची 150 कि०ग्रा० व कटहल 50 कि०ग्रा०	100 फल 100 फल -

18. सफल बोलीदाता द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की पूरी मात्रा केन्द्र को न दिये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता को उक्त की भरपाई समिति द्वारा निर्धारित फल दरों के अनुसार प्रतिवर्ष केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
19. ठेके की शर्तों के पालनार्थ सफल बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के साथ रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध कराना होगा। अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित होने के उपरान्त सफल बोलीदाता को अनुबन्ध पत्र को स्वयं के व्यय पर उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना होगा।
20. सफल बोलीदाता को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा। तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का पहचान सम्बन्धि पत्र आधार कार्ड केन्द्र कार्यालय में जमा करना होगा।
21. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके सफल बोलीदाता को अवगत करा दिया जायेगा। अगर सफल बोलीदाता अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है, तो सफल बोलीदाता से उचित क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है, जुर्माना लिया जा सकता है। सफल बोलीदाता से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
22. सफल बोलीदाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की काट-छोट की जायेगी।
23. केंद्र द्वारा नर्सरी में फल-पौध तैयार करने हेतु आम, प्लम एवं नाशपाती बाग से साइन लेने एवं लीची बाग में एयर लेयरिंग बांधने पर सफल बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

24. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त सफल बोलीदाता को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित सफल बोलीदाता से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
25. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
26. सफल बोलीदाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। सफल निविदादाता को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित सफल बोलीदाता से वसूली की जायेगी।
27. सफल बोलीदाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट-पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट-पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
28. सफल बोलीदाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
29. सफल बोलीदाता को केंद्र के मुख्य द्वार का ही उपयोग करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल बोलीदाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
30. सफल बोलीदाता को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि सफल बोलीदाता नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


31/10/2025
Joint Director
H.R.C. Patharchatta